सत्यमेव जयते

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय

शैक्षिक सशक्तिकरण

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं
बाल विकास संस्थान

इस पत्रिका में निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी गई है:

- शिक्षा और उसका महत्व
- शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
- निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
- बच्चों के अनुकूल स्कूल और प्रणालियां
- अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्तियां
- बालिकाओं, किशोरियों तथा महिलाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
- दूरस्थ शिक्षा और मुक्त अधिगम

शिक्षा और उसका महत्व

- शिक्षा सामान्य ज्ञान, कौशल प्रदान करने या प्राप्त करने तथा तर्क और न्याय की शक्ति को विकसित करने का कार्य या प्रक्रिया है ।
- शिक्षा किसी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए अकेला एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है।
- इसलिए शिक्षा के सभी स्तरों, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों परिवेशों में जेंडर समानता को शामिल करना महत्वपूर्ण है।

"पुरुष को शिक्षित करना एक व्यक्ति को शिक्षित करना है, लेकिन महिला को शिक्षित करना पूरे परिवार को शिक्षित करना है"

शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

सभी के लिए संवैधानिक प्रावधान

➢ शिक्षा के अधिकार का अनुच्छेद 21 (ए)

राज्य छः से चौदह वर्ष तक की आयु वाले बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस तरीके से प्रदान करेगा जो राज्य द्वारा कानून निर्धारित होगी।

➢ अनुच्छेद 45

- **बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान:** राज्य, संविधान के लागू होने के दस वर्ष के भीतर सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा।
- **छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान:** राज्य सभी बच्चों के लिए छः वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

विशेषतया अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधान

➢ अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा

(1) भारत के किसी क्षेत्र या किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों जिनकी अपनी अलग लिपि या संस्कृति है, उन्हें इनके संरक्षण का अधिकार है।

(2) किसी भी नागरिक को किसी राज्य या सरकार की निधियों में से मिलने वाली वित्तीय सहायता से चलाए जाने वाले किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश के लिए सिर्फ धर्म, वंश, जाति, भाषा या किसी अन्य आधार पर मना नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30: शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार

सभी अल्पसंख्यक समुदाय चाहे वे धर्म अथवा भाषा के आधार पर हों, उन्हें अपनी इच्छा से शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार होगा।

➢ (1 ए) अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और संचालित किसी शैक्षणिक संस्थान की किसी परिसम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए बनाए गए कानून के खण्ड (1) में राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार की परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए ऐसे किसी कानून के अर्न्तगत या इसके द्वारा निश्चित अथवा निर्धारित की गई राशि ऐसी संपत्ति को प्रतिबंधित या गारंटी अधिकार रद्द नहीं करेगा।

- (2) राज्य, शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय अनुदान देते समय किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रति इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह किसी अल्पसंख्यक समुदाय (चाहे वह धर्म या भाषा के आधार पर हो) के प्रबंधन के अन्तर्गत है।
- संविधान के **अनुच्छेद 46** में उल्लेख किया गया है कि "शासन कमजोर वर्गों के लोगों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, की विशेष देखभाल, शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय तथा सामाजिक शोषण के सभी रूपों से सुरक्षा प्रदान करेगा।"
- **अनुच्छेद 330, 332, 335, 338 से 342** और **संविधान की संपूर्ण पांचवी और छठी अनुसूचियां अनुच्छेद 46** में घोषित उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित हैं।

निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

आर टी ई **अधिनियम, 2009** का तात्पर्य है पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा जो औपचारिक विद्यालय में संतोषप्रद स्तर की हो और जो निश्चित अनिवार्य मानकों की पूर्ति करती हो। यह प्रत्येक बालक का अधिकार है।

'निःशुल्क शिक्षा' का तात्पर्य यह है कि कोई बालक (उस बच्चे को छोड़कर जिसको उसके माता–पिता द्वारा ऐसे स्कूल में दाखिल किया गया हो जो उचित सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं है), किसी प्रकार की फीस या प्रभार या व्यय, जो उसे प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरी करने में बाधा डाले, देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

'अनिवार्य शिक्षा' का तात्पर्य है कि यह सरकार और स्थानीय प्राधिकारों का दायित्व है कि वह 6–14 आयु समूह के सभी बालकों के प्रवेश, उपस्थिति तथा अनिवार्य शिक्षा को पूर्ण करने को सुनिश्चित करे।

- आर टी ई बालकों को समानता और बिना पक्षपात के सिद्धांतों के आधार पर एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है।
- यह बालकों के लिए ऐसी शिक्षा का प्रावधान प्रदान करता है जो डर, तनाव व चिन्ता से मुक्त हों।

बाल अनुकूल स्कूल एवं प्रणालियां (सी एफ एस एस)

- बाल अनुकूल स्कूल एवं प्रणालियां शिक्षा में गुणवत्ता मध्यस्थताओं की व्यापक श्रेणी को एक साथ उपलब्ध कराने का उपाय है।
- विद्यालय का पुनः निर्माण, नीतियों में बाल अनुकूल सिद्धांत द्वारा व्यवस्था, योजना, शिक्षक सहायता तंत्र शिक्षण–सीखने की सामग्री तथा शैक्षणिक प्रक्रिया सी एफ एस एस उदेश्य है।
- बाल शिक्षा संबंधी मुद्दों पर बल देकर 'सभी के लिए शिक्षा' के उद्देश्य को हासिल करने के अवसर बढ़ाता है।

बाल अनुकूल स्कूल और पद्धतियों के मुख्य सिद्धांत

बाल केन्द्रित	• सभी बालकों का सर्वांगीण हित पाठ्यक्रम की व्यवस्था की प्रक्रिया व बालकों में अनुकूल विद्यालय के अन्य पहलुओं (हिंसा सुरक्षा, संरचना, जल, विद्यालय शासन) में शामिल होना चाहिए।
लोकतांत्रिक भागीदारी	• शिक्षा के स्वरूप और विषय–वस्तु में बालकों की सहमति होनी चाहिए। • निर्णय लेने और अपनी शिक्षा के मूल्यांकन में बच्चों की भागीदारी। • शिक्षा के ढांचे, विषय–वस्तु और प्रक्रिया के निर्धारण में सभी बालकों, अभिभावकों और सामुदायिक नेताओं की भूमिका है।
समता	• सभी बालकों को शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा तक पहुंच विशेषाधिकार नहीं है। • समाज का यह कर्तव्य है कि वे बालकों की अपेक्षायें पूर्ण करें। • विद्यालय में प्रवेश के लिए उचित, पारदर्शी व भेदभाव रहित नियमों की अनिवार्यता।

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह निम्नलिखित में सहायता करती हैं:

मानदण्ड					
छात्रवृत्ति का नाम	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	मेरिट एवं साधन छात्रवृत्ति	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	प्रतिभावान छात्राओं के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति योजना
शिक्षा का स्तर	पहली से लेकर दसवीं कक्षा	स्कूल/कालेज संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	स्नातक–पूर्व स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम	एम फिल/पीएचडी के नियमित/पूर्णकालिक पाठ्यक्रम	केवल 11वीं कक्षा में दाखिला ले चुकी छात्राएं
माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आमदनी	एक लाख रुपये से अधिक न हो	दो लाख रुपये से अधिक न हो	25 लाख रुपये से अधिक न हो	25 लाख रुपये से अधिक न हो	एक लाख रुपये से अधिक न हो
इसी उद्देश्य के लिए कोई और छात्रवृत्ति से पुरस्कृत नहीं	✓	✓	✓	✓	✓
एक ही परिवार के दो से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती	✓	✓	✓	—	—
विद्यार्थी को छात्रवृत्ति निरन्तर तभी जारी रहेगी जब	विद्यार्थी ने पिछली परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों	पिछली परीक्षा में उसने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों	विद्यार्थी द्वारा पिछले वर्ष के दौरान पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक किया जाएगा।	यूजीसी के मानदण्डों के अनुसार	—

छात्रवृत्ति के अंतर्गत वित्तीय सहायता

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति

वित्तीय सहायता के रूप में दाखिला और पाठ्यक्रम/ट्यूशन फीस और भरणपोषण भत्ता उपलब्ध कराया जाता है।

➢ **दाखिला फीस (एक वर्ष के लिए मासिक आधार पर)**

- पहली से पांचवी कक्षा तक: शून्य
- छठी से दसवीं कक्षा तक: वास्तविक फीस/500 रूपये (अधिकतम) छात्रावास में रहने वाले और गैर–आवासी दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए

➢ **ट्यूशन फीस (एक वर्ष के लिए मासिक आधार पर)**

- पहली से पांचवी कक्षा तक: शून्य
- छठी से दसवीं कक्षा तक: वास्तविक शुल्क/350 रूपये (अधिकतम) छात्रावास में रहने में रहने वालों और गैर–आवासी विद्यार्थियों,दोनों के के लिए

➢ **भरण–पोषण भत्ता (10 महीनों के लिए मासिक आधार पर)**

- पहली से पांचवी कक्षा तक: गैर–आवासी विद्यार्थियों, के लिए 100 रूपये
- छठी से दसवीं कक्षा तक: छात्रावास में रहने में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए वास्तविक शुल्क/600 रूपये (अधिकतम) और 100 रूपये गैर–आवासी विद्यार्थियों के लिए

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

दाखिला और पाठ्यक्रम/ट्यूशन फीस और भरणपोषण भत्ता दिया जाता है।

➢ **दाखिला फीस और ट्यूशन फीस (प्रति वर्ष)**

- 11वीं और 12वीं कक्षा: वास्तविक फीस/7,000 रूपये (अधिकतम) छात्रावास में रहने वाले और गैर–आवासी दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए
- 11वीं और 12वीं के स्तर का तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्तर: वास्तविक फीस/10,000 रूपये (अधिकतम) छात्रावास में रहने वाले और गैर–आवासी दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए
- स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्क्रम: वास्तविक फीस/3,000 रूपये (अधिकतम) छात्रावास में रहने वाले और गैर–आवासी दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए

➢ **भरणपोषण भत्ता (10 महीने के लिए हर महीने)**

- 11वीं और 12वीं कक्षा अथवा इस स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए छात्रावास में रहने वालो को 380 रूपये और गैर–आवासी विद्यार्थियों के लिए 230 रूपये
- स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्क्रम: छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए 570 रूपये और गैर–आवासी विद्यार्थियों के लिए 300 रूपये
- एम.फिल और पीएच.डी (जिन्हें किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य किसी प्राधिकरण से अध्येतावृत्ति नहीं मिल रही है): छात्रावास में रहने वालों के लिए 1200 रूपये और गैर–आवासी विद्यार्थियों के लिए 550 रूपये

मेरिट एवं साधन छात्रवृत्ति

पाठ्यक्रम फीस और भरण–पोषण भत्ते के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

- **पाठ्यक्रम फीस (प्रति वर्ष)**
  - दर्ज 85 संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम की पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है।
  - अन्य के लिए:वास्तविक फीस/20,000 रूपये रूपये (अधिकतम), इनमें जो भी कम हो छात्रावास में रहने वालों और गैर–आवासी दोनों तरह के विद्यार्थियों को।
- **शरणपोषण भत्ता (10 महीनों के लिए हर महीने)**
  - सभी पात्र विद्यार्थियों को: 1,000 रूपये छात्रावास में रहने वालों को और 500 रूपये गैर–आवासी विद्यार्थियों को दिए जाते हैं।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

जेआरएफ/एसआरएफ की छात्रवृत्तियों की दर यूजीसी की अध्येतावृत्ति के बराबर है जो कि समय–समय पर संशोधित होती हैं।

- अध्येतावृत्ति (हर महीने) – जेआरएफ: रू25,000; एसआरएफ: रू28,000
- प्रासंगिक (प्रतिवर्ष)
  - कला और वाणिज्य: पहले दो वर्षों के लिए रू10,000, शेष तीन वर्षों के लिए रू20,500
  - विज्ञान और इंजीनियरिंग: पहले वर्ष के लिए रू12,000, शेष तीन वर्षों के लिए रू25,000

प्रतिभावान छात्राओं के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति योजना

- स्कूल/कालेज फीस के भुगतान, पाठ्यक्रम पुस्तकों की खरीद, लेखन सामग्री/उपस्कर की खरीद; भोजन और ठहरने पर होने वाले खर्च के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता।
- छात्रवृत्ति की राशि: रू12000
- राशि दो किस्तों में दी जाएगी। प्रत्येक किस्त रू 6000 की होगी। पहली किस्त छात्रवृत्ति की मंजूरी के बाद दी जाएगी। दूसरी किस्त 11वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

अन्य योजनाओं में वित्तीय सहायता

- **मुक्त कोचिंग और संबद्ध योजना**
  - कोचिंग/प्रशिक्षण फीस और शिक्षावृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

- **कोचिंग/प्रशिक्षण फीस**
  - **ग्रुप ए, बी सेवाएं**: संस्थान द्वारा निर्धारित की गई फीस किन्तु रू 20,000 से अधिक नहीं।
  - **ग्रुप सी की सेवाएं**: संस्थान द्वारा निर्धारित की गई फीस किन्तु रू15,000 से अधिक नहीं।
- **तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षा**: संस्थान द्वारा निर्धारित फीस किन्तु रू 20,000 से अधिक नही।
- **निजी क्षेत्रों में नौकरी के लिए कोचिंग/प्रशिक्षण**: संस्थान द्वारा निश्चित की गई फीस किन्तु रू 20,000 से अधिक नहीं।
- **शिक्षावृति राशि (हर महीने)**: भरण–पोषण राशि बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए रू 3,000 और सभी पात्र स्थानीय विद्यार्थियों के लिए रू1,500
- **नए घटक के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की दर** रू 1,00,000 प्रतिवर्ष (अधिकतम) संस्थान में देय है।

पढ़ो परदेश

- इस योजना के अन्तर्गत इंडियन बैंक एसोसिएशन (आई बी ए) की शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत लिए गए शिक्षा ऋण पर विलम्बन की अवधि (अर्थात् पाठ्यक्रम की अवधि समेत एक वर्ष अथवा नौकरी मिलने के बाद छह महीने तक की अवधि, जो भी पहले हो) के दौरान ब्याज भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- शिक्षा ऋण योजना के अनुसार विलम्बन अवधि के बाद मूल किस्त और ब्याज का भुगतान उम्मीदवार द्वारा किया जाएगा।

बालिकाओं हेतु कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)

- सर्व शिक्षा अभियान राज्यों की भागीदारी के साथ प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (यू ई ई) की उपलब्धि हेतु भारत सरकार का एक अग्रणी कार्यक्रम है।

सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य आकर्षण सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य केन्द्र

- बालिकाओं की शिक्षा तथा विशेष जरूरतों वाले बच्चों पर है।
- यह कार्यक्रम ऐसे स्थानों पर नये स्कूल खोलने के लिए भी है जहां स्कूल की सुविधाएं नहीं हैं।
- कक्षा के अतिरिक्त कमरों, शौचालयों, पीने के पानी, रख–रखाव अनुदान तथा स्कूल में सुधार लाने के अनुदानों के प्रावधान के माध्यम से स्कूलों के मौजूदा आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना।

- जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है ऐसे स्कूलों के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था करना।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को गहन प्रशिक्षण द्वारा मजबूत किया जाता है।
- शिक्षा सहायक सामग्री के विकास हेतु अनुदान देना तथा संघ, खण्ड और जिला स्तर पर शैक्षिक सहायक ढांचे को मजबूत करना।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आरंभिक शिक्षा दी जाती है जिसमें जीवन कौशल भी सम्मिलित हैं।
- सर्व शिक्षा अभियान डिजिटल संबंधी कमी को दूर करने के लिए कम्प्यूटर शिक्षा देता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हस्तक्षेप

- आठवीं कक्षा तक सभी को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें।
- लड़कियों और लड़कों के लिए अलग–अलग शौचालय।
- स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा स्कूल में वापिस लाने के लिए कैंप।
- 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की भरती।
- स्कूलों में या स्कूलों के आस पास प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केन्द्र।
- आई सी डी एस कार्यक्रम के साथ तालमेल।
- समान शिक्षण अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों के लिए सुग्राह्यता कार्यक्रम।
- पाठ्य पुस्तकों सहित जेंडर सुग्राही शिक्षण सामग्री।
- सामुदायिक संघटन के गहन प्रयास।
- हर जिले के लिए नवीनता कोष जिससे जरूरत आधारित हस्तक्षेपों द्वारा लड़कियों की उपस्थिति तथा उनकी पढ़ाई का सुनिश्चय किया जा सके।
- स्कूल भवनों का रख–रखाव और मरम्मत।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के जी बी वी)

- यह योजना अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय स्कूलों की स्थापना करती है।
- इस योजना के अंतर्गत कम से कम 75 प्रतिशत सीटें 27 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए आरक्षित हैं और शेष 25 प्रतिशत सीटों के लिए गरीबी की रेखा से नीचे (बी पी एल) आने वाले परिवारों की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है।

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को 1 अप्रैल, 2007 से सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला लिया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम

- प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम को मिड–डे मील योजना के नाम से भी जाना जाता है जिसे मूलरूप से प्राथमिक शिक्षा को पोषण, स्वास्थ्य तथा आई सी डी एस के साथ जोड़ने के लिए शुरू किया गया था।
- यह योजना सरकारी, सरकार से सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ने वाले आठवीं कक्षा तक के बच्चों पर लक्षित है।

मिड–डे मील के अन्तर्गत पोषाहार संबंधी मानक

क्रम सं.	श्रेणी	भोजन का प्रकार	भोजन की लागत (₹)	कैलोरी (कि.कैलोरी)	प्रोटीन (ग्राम)
1	निम्न प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	₹ 3.59	450	12
2	उच्च प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	₹ 5.38	700	20

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ई सी सी ई)

- ई सी सी ई का विजन बच्चे की बुनियाद सुदृढ़ करने तथा पूरी अन्तः शक्ति का लाभ उठाने के लिए निशुल्क, व्यापक, समावेशी, समान, रूचिकर और संदर्भगत अवसरों को बढ़ावा देकर व्यापक विकास और सक्रिय तरीके से सीखने की योग्यता हासिल करना है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र

- समानता और समावेश के साथ पहुंच
- गुणवत्ता में सुधार
- क्षमता को सुदृढ़ बनाना
- मानीटरिंग एवं सुपरविज़न
- अनुसंधान एवं प्रलेखन
- एडवोकेसी एवं जागरूकता पैदा करना
- नीतियों और कार्यक्रमों में समन्वय तथा समेकन
- संस्थागत और कार्यान्वयन प्रबंध
- ई सी सी ई के लिए संवर्धित निदेश
- आवधिक पुनरीक्षा

किशोरियों हेतु कार्यक्रम

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए)

आर एम एस ए का उद्देश्य किसी भी आवास स्थान के 5 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक स्कूल और 7 किलोमीटर के भीतर उच्चतर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रवेश को 90 प्रतिशत और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए 75 प्रतिशत तक बढ़ाने का है।

इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानकों के अनुसार बनाकर माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- जेंडर, सामाजिक–आर्थिक और अपंगता संबंधी रूकावटों का दूर करना।
- वर्ष 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक व्यापक पहुंच प्रदान करना।
- वर्ष 2020 तक पढ़ाई जारी रखने और इसे सार्वभौमिक बनाना।

ढांचे संबंधी सुविधाएं

- अतिरिक्त कक्षाएं
- प्रयोगशाला
- पुस्तकालय
- कला एवं शिल्प के लिए कमरा
- शौचालय ब्लाक
- पेय जल प्रावधान
- दूरवर्ती क्षेत्रों से आए हस्तक्षेप अध्यापकों के लिए आवासीय छात्रावास

गुणवत्ता हस्तक्षेप

- पी टी आर के अनुपात को 30:1 तक कम करने के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति
- विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की शिक्षा पर केन्द्र
- सांइस प्रयोगशालाएं
- आई सी टी (सूचना संप्रेषण प्रोद्यौगिकी)
- युक्त शिक्षा
- पाठ्यचर्चा सुधार
- शिक्षण लर्निंग सुधार

समानता हस्तक्षेप

- सूक्ष्म आयोजना पर विशेष फोकस
- उन्नयन के लिए आश्रम स्कूलों को प्राथमिकता
- स्कूल खोलने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्गों के संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता
- कमजोर वर्गों के दाखिले के लिए विशेष अभियान
- स्कूलों में महिला अध्यापकों की अधिकता
- लड़कियों के लिए अलग शौचालय ब्लाक

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन

उद्देश्य

- माध्यमिक स्तर पर 14–18 वर्ष के आयु वर्ग की लड़कियां खासकर जिन्होंने आठवीं कक्षा पास कर ली है उनके प्रवेश को बढ़ावा देना।
- केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के जरिए इन लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

लक्षित समूह

- अनुसूचित जाति/जनजाति की सभी लड़कियां जिन्होंने आठवीं कक्षा पास की हो।
- ऐसी लड़कियां जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से आठवीं कक्षा की परीक्षा पास की है (चाहे वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हों) और शैक्षिक वर्ष 2008–09 में राज्य/केन्द्र शासित सरकार, सरकार अथवा स्थानीय निकाय से सहायता प्राप्त स्कूलों में नौंवी कक्षा में प्रवेश लिया हो।
- कक्षा नौं में प्रवेश लेने वाली 16 वर्ष से कम उम्र (31 मार्च को) की लड़कियां।
- विवाहित लड़कियां गैर–सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रही लड़कियां और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश लेने वाली लड़कियां इसमें शामिल नहीं हैं।

लाभ

पात्र लड़कियों के नाम निश्चित जमा के रूप में 3000 की राशि जमा कराई जाती है जिस वे 18 वर्ष की उम्र पर और 10वीं कक्षा की परीक्षा पास करने पर ब्याज सहित निकलवा सकती हैं।

किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम (ए ई पी)

यह योजना सुनिश्चित करती है कि स्कूल किशोरों को सही और आयु अनुकूल जीवन कुशलता आधारित किशोरावस्था शिक्षा प्रदान करें।

किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के घटक

- स्कूलों में जीवन कुशलता विकास पर केन्द्रित सह–पाठ्यचर्या गतिविधियां
- स्कूल की पाठ्यचर्या में इस विषय सामग्री का समेकन, तथा जिनका स्कूल छूट गया है उनके लिए अध्ययन सामग्री
- शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों और सामग्री में इस विषय सामग्री का समेकन

लक्षित समूह

- देश भर के सभी ग्रामीण तथा शहरी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल।
- निम्नलिखित में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी:
  - सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल।
  - शिक्षा गारंटी स्कीमें (देश भर की वैकल्पिक नवीन योजनाएं)।
  - जिन बच्चों और किशोरों की पढ़ाई छूट गई है और प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
  - ओपन स्कूल/ओपन विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले।

उड़ान

- उड़ान सुविधाहीन बालिका विद्यार्थियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्गों की अन्य बालिका विद्यार्थियों को स्कूल से स्कूल बाद की व्यावसायिक शिक्षा खासकर विज्ञान और गणित की शिक्षा की ओर ले जाने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी एस ई) का एक प्रयास है।

- इसका उद्देश्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा, कार्य सम्पादन और निर्धारण जैसे तीन आयोगों पर फोकस करके स्कूल की शिक्षा और इंजीनियरिंग शिक्षा की प्रवेश प्रणालियों के बीच अन्तर को कम करना है।

लाभ

- योग्यता एवं आय के आधार पर चुनी गई 1000 लड़कियों का नाम अग्रणी इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए भेजा गया।
- निशुल्क ऑन लाइन और ऑफलाइन विस्तृत पाठ्यक्रम।
- पहले से लोड की गई अध्ययन सामग्री वाले टेबलेट के वितरण का प्रावधान।
- आई आई टी जे ई ई की तैयारी के लिए ऑन लाइन ट्यूटोरियल, लेक्चर और अध्ययन सामग्री का प्रावधान।
- आई आई टी और एन आई टी में दी गई फीस की भरपाई के लिए रिवार्ड पाइंट्स द्वारा वित्तीय सहायता।
- अध्ययन में वृद्धि के लिए विद्यार्थी हैल्पलाइन।
- विद्यार्थियों और माता–पिता को प्रेरित करने के लिए समय – समय पर परामर्श।

मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीम (एस पी क्यू ई एम)

एस पी क्यू ई एम की खास विशेषता यह है कि औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए यह मदरसों को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग (एन आई ओ एस) के साथ अधिकृत केन्द्रों के रूप में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।

लाभ

- स्कीम के अन्तर्गत मदरसों के विद्यार्थियों को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के समतुल्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसर कराए जाएंगे।
- इससे इन संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चे उच्च स्तर की शिक्षा के लिए सक्षम होंगे और उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर भी पैदा होंगे।
- मकतबे/मदरसे/दर–उल–उलूम प्राथमिक और मध्यम स्तर की शिक्षा के लिए और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों की शिक्षा के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन्स ऑफ ओपन स्कूलिंग (एन आई ओ एस) के अन्तर्गत अधिकृत अध्ययन केन्द्र बनने का विकल्प चुन सकते हैं।
- मकतबों, मदरसों और दर–उल–उलूम को ऐसी गतिविधियों के लिए सहायता दी जाएगी जो इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- इस योजना के अन्तर्गत मदरसों में पढ़ रहे 14 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा जिन्होंने सहायता पाने का विकल्प दिया है ताकि रोजगार के बाजार में प्रवेश करने के अनेक अवसरों में बढ़ोतरी हो और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिल सके।

महिलाओं के लिए कार्यक्रम

महिला समाख्या

महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें समूहों (संघों)– महिला शिक्षण केन्द्रों (एम एस के) के जरिए जुटाना और संगठित करना इस कार्यक्रम की मुख्य रणनीति है।

लक्षित समूह

- 15 वर्ष या उससे बड़ी उम्र की लड़कियां जो कभी स्कूल नहीं गई
- लड़कियां, जिनकी पढ़ाई छूट गई है
- कामकाजी लड़कियां और युवतियां

लाभ

- महिलाओं में आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता बढ़ती है।
- गंभीरतापूर्वक सोचने और निर्णय लेने जैसी जीवन कुशलताएं विकसित होती हैं और इन्हें बढ़ावा मिलता है।
- महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य (खासतौर पर प्रजनन स्वास्थ्य) के क्षेत्रों में जानकारीपूर्ण विकल्प लेने में मदद मिलती है।
- कानूनी और विकास के क्षेत्रों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
- सूचना, जानकारी और कुशलता उपलब्ध कराने के जरिए आर्थिक आत्म निर्भरता लाने में मदद मिलती हैं।

साक्षर भारत

- इस मिशन को पढ़ने, लिखने और गणना करने (अर्थात् तीन 'आर') से और आगे ले जाया गया है और इसमें सामाजिक भिन्नताओं के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास भी शामिल किया गया है।
- साक्षर भारत वयस्क महिलाओं की साक्षरता पर केन्द्रित है ताकि पुरूष और महिला साक्षरता के बीच अन्तर घटाया जा सके।

साक्षर भारत के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र

- निरक्षर महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता और संख्या गणना की जानकारी देना
- औपचारिक शिक्षा पद्धति के समक्ष समान स्तर अर्जित करना
- उपयुक्त कुशलता विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराना
- समाज की बेहतरी के लिए निरन्तर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना

जन शिक्षण संस्थान (जे एस एस)

जन शिक्षण संस्थान निरक्षरों, नवसाक्षरों और पढ़ाई छूट जाने वालों को ऐसी कुशलताओं में व्यवसायिक प्रशिक्षण देता है जिनकी बाजार में जरूरत हैं।

लक्षित समूह

- समाजार्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग
- शैक्षिक रूप से सुविधाहीन समूहों की शहरी/ग्रामीण जनसंख्या के पुरूष, महिलाएं और युवा, नियोजित, स्व–नियोजित
- नव–साक्षर, भावी कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्य तथा बेरोजगार युवा
- वयस्क नव–साक्षर/अर्ध–साक्षर
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्ति, महिलाएं/लड़कियां, दलित, प्रवासी, झुग्गी बस्ती/फुटपाथ पर रहने वाले और कामगार बच्चे

लाभ

- व्यावसायिक कुशलताओं में सुधार लाना।
- नव–साक्षरों और प्रशिक्षार्थियों की दक्षता और उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए उनकी तकनीकी जानकारी में सुधार लाना।
- शैक्षिक और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने के जरिए जिला साक्षरता समितियों की सहायता करना ताकि वे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नव–साक्षरों के लिए व्यावसायिक और कुशलता विकास कार्यक्रम चला सकें।
- मुख्य विशेषज्ञों और उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के जरिए नव–साक्षरों की कुशलताएं बढ़ाना।
- ओपन लर्निंग प्रणालियों के जरिए समकल कार्यक्रम के आयोजन द्वारा सीखने के अवसर प्रदान करना।
- धर्म–निरपेक्षता, राष्ट्रीय अखंडता, जनसंख्या एवं विकास, महिलाओं की समानता, सुरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एक वन–स्टाफ समाधान है जिसमें विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र देने, आवेदनपत्र प्राप्त करने, प्रक्रिया, मंजूरी और छात्रवृत्तियों के वितरण संबंधी सारी सुविधाएं दी गई हैं।

- इस पोर्टल से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदनपत्र ऑनलाइन भेजने और छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में हस्तान्तरित होने का सुनिश्चिय होगा।

- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को राष्ट्रीय–ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत मिशन मोड परियोजना के रूप में लिया गया है।

उद्देश्यः

- यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियो समय पर मिल सकें।
- केन्द्र और राज्य सरकारों की छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाओं के लिए एक साझा पोर्टलउपलब्ध कराना।
- छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का एक पारदर्शी डेटाबेस तैयार करना।
- प्रक्रिया में दोहराव से बचना।
- छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाओं और मानदंडों का तालमेल बनाना।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण को लागू करना।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डी बी टी)

हस्तान्तरण योजना (डी बी टी) की शुरूआत नकद हस्तांरण को पारदर्शी बनाने और निधि आबंटन में शामिल स्तरों को न्यूनतम करते हुए इलैक्ट्रानिक तरीके से व्यक्तिगत बैंक खातों में लाभ का तेजी से हस्तांतरण सुनिश्चिय करने के लिए की गई है।

डी बी टी से जुड़े कार्यक्रम

- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
- विद्यार्थी छात्रवृत्ति
- तरल पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) सब्सीडी

लाभार्थियों को लाभ

- उनके खाते में धन की तेजी से स्थानांतरण।
- खाते में जमा भुगतान ऑनलाइन जाँच कर सकते हैं।
- People will get their due benefit without giving any commission or cut to middle men.

ओपन और दूरस्थ शिक्षण (ओडीएल)

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में ओडीएल को एक विशेष स्थान हासिल है क्योंकि स्कूल दाखिला अनुपात को बढ़ाने और शैक्षिक रूप से सुविधाहीन स्थानों पर रहने वाले शिक्षार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करा कर सामाजिक समानता सुनिश्चित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है।

दूरस्थ शिक्षा

- यह एक छत्र शब्द_(अम्ब्रेला टर्म) है जिसमें शिक्षण और सीखने की उन सभी व्यवस्थाओं का वर्णन है जिनमें शिक्षार्थी और शिक्षक स्थान और समय द्वारा पृथक किए गए हैं।
- वस्तुतः यह शिक्षार्थियों को शिक्षा और अनुदेश प्रदान करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें शिक्षार्थी कक्षा के परम्परागत परिवेश में भौतिक रूप से मौजूद नहीं होते।

ओपन लर्निंग

- इसके अंतर्गत नवीनताओं और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के तरीकों की एक व्यापक श्रृंखला आती है जो शिक्षार्थी के लिए शिक्षा में प्रवेश और प्रस्थान, अध्ययन की गति और स्थान, अध्ययन के तरीके और पाठ्यक्रमों के चयन व संयोजन तथा पाठ्यक्रम के मूल्यांकन और समापन का समर्थन करता है।

ओपन और दूरस्थ शिक्षण के फायदे

- पाठ्यक्रम के चयन, प्रवेश की उम्र, पात्रता मानदंड में यह लचीलापन रखता है।
- आना-जाना सीमित होता है इसलिए समय और ऊर्जा की बचत होती है।
- यह पढ़ाई करने का आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करता है और व्यक्ति को अपनी गति से सीखने की अनुमति देता है।
- इसमें व्यक्ति रोजगार और पढ़ाई साथ-साथ कर सकता है।
- दूरस्थ शिक्षण के रूप में यह पैसा बचाने में मदद करता है क्योंकि यह नियमित पाठ्यक्रमों की तुलना में सस्ता है।
- यह कुशलताएं और योग्यताएं बढ़ाने का अवसर देता है।

ओडीएल हेतु राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं

- **पाठ्यक्रम / कार्यक्रम**
  - ए, बी और सी स्तर के ओपन बेसिक एजुकेशन (ओबीई) जो क्रमशः कक्षा 3, 5 और 8 के बराबर है।
  - माध्यमिक अर्थात् कक्षा 10 जिसे उतीर्ण करने पर सैकेण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट मिलता है।
  - उच्चतर माध्यमिक अर्थात् कक्षा 12 जिसे उतीर्ण करने पर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट मिलता है।
- अन्य **पाठ्यक्रमों** में ओपन व्यावसायिक शिक्षा और जीवन संवर्धन कार्यक्रम शामिल हैं।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)**
  - इग्नू में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है।
  - इसका उद्देश्य समाज के सुविधाहीन वर्गों को ओपन और दूरस्थ शिक्षण तरीके से उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना है।
- **साक्षातः वन स्टाप एजुकेशन पोर्टल**
  - यह शिक्षार्थियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर ध्यान दिए बिना स्तरीय शैक्षिक संसाधन और शिक्षक, हफ्ते के सातों दिन, 24 घंटे उपलब्ध करा कर कमियों को पूरा करने में उनकी मदद करता है।
  - इस पोर्टल के निम्नलिखित पांच कार्यात्मक माड्यूल हैं: शैक्षिक संसाधन, छात्रवृत्ति परीक्षण, सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्तकर्ता और पारस्परिकता।

प्रशिक्षक शामिल किए गए विषयों, संबंधित गतिविधियों और अनुलग्नकों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल में पांचवा दिन सत्र 1 का संदर्भ ले सकते हैं।

प्राक्कथन एवं मुद्रण फाउन्टेनहैड सोल्यूशन प्रा. लि.

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय
11 वीं मंजिल, पर्यावरण भवन
सीजीओ कॅम्प्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली 110016

राष्ट्रीय जन सहयोग
एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)
5, सीरी इंस्टीटयूशनल एरिया, हौज खास
नई दिल्ली–110016